



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16012026-269378
CG-DL-E-16012026-269378

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 206]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947

No. 206]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

का.आ. 228(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4804 तारीख 22/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के बेंगलोर रूरल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 48(पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 04) के कि.मी. 29.5 से कि.मी.75 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ा करने / छह लेनकाबनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "विजयवाणी" और "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया" दिनांकित 04.11.2025 दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के बैंगलोर रूरल जिले में कि.मी. 29.5 से कि.मी.75 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्गसंख्या 4) के प्रस्तावित अधिकार के दायरे में आने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: बैंगलोर रूरल		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: नेलांगला					
गांव का नाम: सोमपुरा					
1	९०	सरकारी	ड्राय	0.061	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, डॉक्टर बीआर अंबेडकर/बाबू जगजीवनराव समुदाय भवन निर्माणकागी
गांव का नाम: कुलुवनाहल्ली					
2	११/१बी१	निजी	ड्राय	0.0051	नेशनल हाइवे नो.4, सी रंगस्वामी एंस्/ओ लेट चिक्कन्ना (साई.नो ११/११)
3	११/१बी२	निजी	ड्राय	0.0032	सी रंगास्वामी पुत्र चिक्कन्ना, राष्ट्रीय राजमार्ग 48
4	१८/४	निजी	ड्राय	0.106	थिम्मप्पैया पुत्र डोड्डामहिम्मा, नेशनल हाईवे नंबर 4
गांव का नाम: टी. बेगुर					
5	३४/७	निजी	ड्राय	0.015	किरण बी.आर पुत्र स्वर्गीय रुक्कन्ना
6	३६/२	निजी	एँन्एके	0.0275	अस्करीबानू पुत्र नजीर अहमद भू पा
7	४५/३	निजी	ड्राय	0.045	गौहरताज पुत्र अब्दुल मदिर, सौभाग्यम्मा पत्नी रंगाबिलप्पा
गांव का नाम: बोम्मनहल्ली					
8	१०/२ए	निजी	ड्राय	0.01	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, पी राघवेंद्र वर्मा पुत्र पी.सी राजू, के वेंकटरेड्डी पुत्र वेंकटरेड्डी, जी सन्यासी पुत्र थतैया जी
9	१०/२बी१	निजी	एँन्एके	0.0112	वेंकटरमन हेगडे पुत्र सिद्धेश्वर हेगडे भू पा
10	१०/२सी२	निजी	ड्राय	0.0101	वेंकटरामन हेगडे

11	१०/२सी३	निजी	एँन्एके	0.045	वेंकटरामन हेगडे भू पा
12	११/४	निजी	ड्राय	0.0032	आर् सिद्धरामप्पा एँस्/ओ रामागिरी रामप्पा, नेशनल हाइवे-48 (साई.नो ११/९)
गांव का नाम: हनुमंथपुर					
13	२४/८	निजी	एँन्एके	0.006	मोहन कुमारी पत्नी स्वर्गीय नागराजू, चन्द्रशेखर पुत्र स्वर्गीय नागराजू भू पा, राष्ट्रीय राजमार्ग 48
14	२८/१ए	निजी	एँन्एके	0.016	टी.एच रामजनेय पुत्र स्वर्गीय हनुमैया भू पा
15	२८/१बी२	निजी	एँन्एके	0.053	टी.एच रामजनेय पुत्र स्वर्गीय हनुमैया भू पा
16	३१/३	निजी	ड्राय	0.0038	टी चन्नाथिम्मैया एँस्/ओ लेट थिमैया, हरिश कुमार हेच्.एँस् एँस्/ओ लेट के सिद्धैया भू पीए
17	३१/४	निजी	ड्राय	0.01	जयेशा जेड शाहा पुत्र जवीर चंद नि
गांव का नाम: थोनाचिनाकुप्पे					
18	२०/१	निजी	ड्राय	0.015	विशालक्षममा डबल्यू/ओ डीएँम्एँल्एँन् मूर्थी
19	२८/१२	निजी	ड्राय	0.0225	एच मंजूनाथ पुत्र डी होनैया
20	२८/३	निजी	एँन्एके	0.065	एच ई पांडुरंगा पुत्र ईश्वरप्पा भू पा
21	२८/९	निजी	एँन्एके	0.025	एच पी सिद्धार्थ पुत्र माइनर गार्डियन एच पी गीतांजलि
Total				0.5586	

[फा. सं. NHAI/PIU-CTA/KAR/ Amedment3a/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2026

S.O. 228(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **4804 Dated:22/10/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/Six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-48 (Old NH-04) in the stretch of land from Km. 29.5 to Km. 75 in the district of Bangalore Rural in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in "Vijayavani" and "The Times Of India" both dated: 04.11.2025 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Right Of Way of National Highway No.48(Old NH-4) from Km. 29.5 to Km. 75 in Bangalore Rural District in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: Bangalore Rural		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nelamangala					
Village: Sompura					
1	90	Government	Dry	0.061	National Highway No.4, Doctor BR Ambedkar/Babu Jagajeevanrao samudaya bhavana nirmanakagi
Village: Kuluvanahalli					
2	11/1B1	Private	Dry	0.0051	National Highway No.4, C Rangaswamy S/o Late Chikkanna (sy.no 11/11)
3	11/1B2	Private	Dry	0.0032	C Rangaswamy S/o Chikkanna, National Highway 48
4	18/4	Private	Dry	0.106	Thimmappaiah S/o Doddamahimanna, National Highway No.4
Village: T.Begur					
5	34/7	Private	Dry	0.015	Kiran B.R S/o Late Rukkanna
6	36/2	Private	NAK	0.0275	Askaribanu S/o Nazir ahamad Bhoo pa
7	45/3	Private	Dry	0.045	Gowhartaj S/o Abdul Madir, Sowbhagyamma W/o Rangabylappa
Village: Bommanahalli					
8	10/2A	Private	Dry	0.01	National Highway No.4,P Raghavendra Varma S/o P.C Raju, K Venkatareddy S/o Venkatareddy, G Sanyasi S/o Thataiah G
9	10/2B1	Private	NAK	0.0112	Venkataraman Heggade S/o Siddeshwara Heggade Bhoo Pa
10	10/2C2	Private	Dry	0.0101	Venkataraman Heggade
11	10/2C3	Private	NAK	0.045	Venkataraman Heggade Bhoo pa
12	11/4	Private	Dry	0.0032	R Siddaramappa S/o Ramagiri Ramappa, National Highway-48 (Sy.no 11/9)

Village: Hanumanthapura					
13	24/8	Private	NAK	0.006	Mohan Kumari W/o Late Nagaraju, Chandrashekar S/o Late Nagaraju Bhoo pa, National Highway 48
14	28/1A	Private	NAK	0.016	T.H Ramanjaneya S/o Late Hanumaiah Bhoo pa
15	28/1B2	Private	NAK	0.053	T.H Ramanjaneya S/o Late Hanumaiah Bhoo pa
16	31/3	Private	Dry	0.0038	T Channathimmaiah S/o Late Thimmaiah, Harish Kumar H.S S/o Late K Siddaiah Bhoo pa
17	31/4	Private	Dry	0.01	Jayesha jed Shaha S/o Javeer Chand N
Village: Thonachinakuppe					
18	20/1	Private	Dry	0.015	Vishalakshamma W/o DMLN Murthy
19	28/12	Private	Dry	0.0225	H Manjunath S/o D Honnaiah
20	28/3	Private	NAK	0.065	H E Panduranga S/o Eshwarappa Bhoo pa
21	28/9	Private	NAK	0.025	H P Siddarth S/o Minor Gardian H P Geethanjali
Total				0.5586	

[F. No. NHAI/PIU-CTA/KAR/ Amedment3a/3D]
SAIKH AMINKHAN, Director